माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. मुरलीधर और माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन के सामने

रोहताश कुमार और अन्य-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी
2018 का एलपीए नंबर 1787
05 अक्टूबर 2020

हरियाणा परिवहन विभाग, हरियाणा रोडवेज सेवा नियम, 1995-स्टेशन पर्यवेक्षक के रूप में भर्ती-नियमों के अनुसार और विज्ञापनों के अनुसार, मैट्रिक स्तर पर हिंदी/संस्कृत के साथ स्नातक, मोटर सड़क परिवहन सरकारी, अर्ध सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव स्टेशन पर्यवेक्षकों के रूप में सीधे भर्ती किया जा सकता है - सीधी भर्ती के संबंध में पर्यवेक्षी अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं थी - चयन प्रक्रिया के पूरा होने पर आवश्यक अनुभव के संबंध में पात्रता मानदंड बदल दिया गया था – अभिनिर्धारित किया गया, पदोन्नति पात्रता मानदंड को सीधे नहीं पढ़ा जा सकता है भर्तियाँ-चयन प्रक्रिया के अंत में संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों के परिशिष्ट-बी के अनुसार और 10 जुलाई, 2015 के विज्ञापन के अनुसार, मैट्रिक स्तर पर हिंदी/संस्कृत के साथ स्नातक और मोटर सड़क परिवहन, सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में सीधे एस.एस. के रूप में भर्ती किया जाने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पर्यवेक्षी अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। (पैरा 12)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि पदोन्नति पात्रता मानदंड को सीधी भर्ती के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि नियमों में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए होते, तो चीजें अलग होतीं, लेकिन ऐसा नहीं है। (पैरा 14)

आगे अभिनिर्धारी किया गया कि इस मामले का एक और पहलू है, शुरुआत में 2007 में सीधे एस.एस. की भर्ती के लिए एक विज्ञापन दिया गया था और उसके बाद पर्यवेक्षी क्षमता में अनुभव के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। विज्ञापन रद्द कर दिया गया। उत्तरदाताओं को एक मुकदमे का सामना करना पड़ा जो एक अलग आधार पर विफल रहा। 2015 में पदों को फिर से विज्ञापित किया गया था। लगभग 8 वर्षों तक, सीधी भर्ती और पदोन्नति चैनल के मानदंडों के बीच कथित विसंगति को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन करना उचित नहीं समझा गया। स्पष्टीकरण के माध्यम से संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। (पैरा 19)

अपीलकर्ता संख्या 1 और 20 के लिए वकील सुनील नेहरा।

अपीलकर्ता संख्या 2 से 19 के लिए वकील एस.एस. दुहान।

अंकुर मित्तल, ए.ए.जी., हरियाणा।

न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन,

(1) यह इंट्रा-कोर्ट अपील 8 अक्टूबर, 2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ है, जिसमें उत्तरदाताओं को आयोजित साक्षात्कार के अंतिम परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और दिनांक 18 अगस्त, 2017 को स्पष्टीकरण वापस लेने के दिनांक 28 मई, 2018 के पत्र को रद्द कर दिया गया था।

(2) प्रासंगिक तथ्य यह है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ('एच.एस.एस.सी.') ने विभिन्न श्रेणियों के तहत भर्ती के लिए 10 जुलाई, 2015 को एक विज्ञापन जारी किया था। वर्तमान अपील के लिए, स्टेशन पर्यवेक्षक ('एस.एस.') का चयन प्रासंगिक है।

(3) अपीलकर्ताओं ने 18 दिसंबर, 2016 को लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के बाद एसएस के पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें 30 दिसंबर, 2017 और 14 फरवरी, 2018 को आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 28 मई, 2018 को पत्र वापस लेते हुए जारी किया गया था। स्पष्टीकरण दिनांक 18 अगस्त, 2017 जिसके तहत निदेशक, राज्य परिवहन ने सचिव, एचएसएससी को लिखा था कि एस.एस. की भर्ती के लिए कंडक्टर, ड्राइवर, स्टेनो, क्लर्क या मोटर रोड ट्रांसपोर्ट सरकारी या सेमी- सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में किसी अन्य पद के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक होना चाहिए। उत्तरदाताओं के इस रुख से व्यथित होकर कि एस.एस. की भर्ती के लिए मोटर रोड ट्रांसपोर्ट में पर्यवेक्षी क्षमता में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका दायर की।

(4) एस.एस. का पद हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप-सी) हरियाणा रोडवेज सेवा नियम, 1995 (संक्षिप्तता 'नियम' के लिए) द्वारा शासित होता है। नियमों का परिशिष्ट-बी सीधी भर्ती के लिए और सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रदान करता है।

(5) 10 जुलाई, 2015 के नियमों और विज्ञापन के परिशिष्ट 'बी' के प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं: -

<u>नियमों का परिशिष्ट 'बी'</u>

क्रमांक नहीं।	**पदों का पदनाम**	**सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि कोई हो,**	**शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदिसीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के लिए कोई भी।**	**टिप्पणियां, यदि कोई हो,**
1.	स्टेशन पर्यवेक्षक	(i) स्नातक (ii) मोटर सड़क परिवहन सरकारी, या अर्ध-सरकारी विभागों या सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव	(i) हिंदी के साथ मैट्रिक (ii) हरियाणा रोडवेज में मुख्य निरीक्षक, कल्याण निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।	

<u>विज्ञापन का प्रासंगिक हिस्सा</u>

परिवहन <u>विभाग, हरियाणा</u>

श्रेणी नंबर 22 स्टेशन सुपरवाइजर (पुनः विज्ञापित) के 38 पद (जनरल = 11, एससी = 5, बीसीए = 4। बीसीबी = 3। एसबीसी = 3, ईबीपीजी = 4, ईएसएम-जनरल = 3, ईएसएम-एससी = 1, ईएसएम-बीसीए = 1, ईएसएम- बीसीबी = 1, ओएसपी-एससी = 1, ओएसपी = बीसीए = 1) कुल 38 (पीएचसी ओएच = 1)

ई.क्यू i) स्नातक

ii)मोटर सड़क परिवहन सरकार या अर्ध-सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।

iii) मैट्रिक मानक या उच्च शिक्षा तक हिंदी / संस्कृत।

उम्र: 18-42

वेतनमान: रु. 9300-34800 + रु. 3600 जीपी"

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख यह था कि यद्यपि नियमों में 'पर्यवेक्षी अनुभव' का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पद के कर्तव्यों और

जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, स्थिति स्पष्ट करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। यह स्पष्टीकरण 17 मई, 2012 को दिए गए 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 2002 नरेश कुमार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए हलफनामे पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि पदोन्नति नियम एस.एस. की सीधी भर्ती के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, फिर भी दोनों की तुलना की गई और एस.एस. के पद पर सीधी भर्ती के लिए 5 साल के पर्यवेक्षी अनुभव की आवश्यकता को बरकरार रखा गया। आगे यह माना गया कि नियमों को नष्ट किए बिना नियमों को बेहतर बनाने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। मूल तत्व और इसे प्रासंगिक और सार्वजनिक हित के अनुरूप बनाना।

(7) अपील में प्रस्ताव की सूचना जारी करते समय अंतरिम निर्देश जारी किया गया था कि विज्ञापन के अनुसरण में की गई नियुक्ति इस याचिका के परिणाम का पालन करेगी। अपील के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय के 11 अगस्त, 2020 के निर्देश के अनुपालन में, डॉ. वरिंदर के. दहिया, निदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा का 12 मार्च, 2020 का एक हलफनामा दायर किया गया था।

(8) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं ने नियमों और विज्ञापन के अनुसार पात्रता मानदंडों को विधिवत पूरा किया। अनुभव खंड को बाद के चरण में नहीं बदला जा सकता था। मामला यह है कि प्रशासनिक आदेश वैधानिक नियमों से आगे नहीं बढ़ सकते। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने नरेश कुमार (सुप्रा) और 2012 के एलपीए नंबर 1519 में 8 नवंबर, 2012 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने में गलती की।

(9) राज्य के विद्वान वकील ने उत्तरदाताओं की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि एस.एस. के पद के लिए पर्यवेक्षी अनुभव की आवश्यकता थी। तर्क यह है कि यदि सीधी भर्ती के साथ पदोन्नति पद के लिए योग्यता की तुलना की जाती है, तो मुख्य निरीक्षक के पास 5 साल का अनुभव और हिंदी के साथ मैट्रिकुलेशन एसएस के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। कंडक्टरों के लिए, मुख्य निरीक्षक तीसरी पदोन्नति है, इससे पहले उन्हें उप-निरीक्षक, फिर निरीक्षक और उसके बाद मुख्य निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया जाता है। प्रत्येक पदोन्नति के लिए 5 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता है। इस तर्क को यह कहते हुए बल दिया गया है कि यदि अपीलकर्ताओं की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो 5 साल का अनुभव रखने वाले कंडक्टरों को सीधे एस.एस. में भर्ती किया जा सकता है।

(10) आगे बढ़ने से पहले, संदर्भित तीन पत्रों/स्पष्टीकरणों पर चर्चा करना उचित होगा। 2007 में, जब एस.एस. के पद विज्ञापित किए गए थे, तब एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि एस.एस. के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए 'पर्यवेक्षी क्षमता' में पांच साल का अनुभव आवश्यक है। 18 अगस्त, 2017 को, निदेशक, राज्य परिवहन,

हरियाणा ने लिखा था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पत्र में स्पष्ट किया गया है कि "कंडक्टर, ड्राइवर, स्टेनो और क्लर्क या परिवहन विभाग/अर्ध-सरकारी में किसी भी पद का अनुभव पात्र है, अर्थात मोटर सड़क परिवहन सरकारी और अर्ध-सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में 5 वर्ष का अनुभव।" 2007 का विज्ञापन रद्द कर दिया गया क्योंकि कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था और 2015 में एस.एस. के लिए पद फिर से विज्ञापित किए गए। परिणाम लंबित होने के दौरान, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने से व्यथित एक उम्मीदवार ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर किया। 2018 की संख्या 10754-संदीप बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, एक शिकायत उठाते हुए कि कंडक्टर के रूप में सेवारत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके पास 'पर्यवेक्षी क्षमता' में अनुभव नहीं था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान ही दिनांक 28 मई, 2018 को पत्र जारी किया गया था, जिसमें 18 अगस्त, 2017 के स्पष्टीकरण को वापस ले लिया गया था। इस पत्र में, यह कहा गया था कि यद्यपि नियम मोटर सड़क परिवहन में केवल पांच साल के अनुभव का प्रावधान करते हैं। एस.एस. के पद पर सीधी भर्ती लेकिन जब पदोन्नति चैनल के साथ तुलना की जाती है, तो पर्यवेक्षी प्रकृति का अनुभव उचित है। इसके अलावा, इसी तरह का पत्र 22 अगस्त, 2007 को जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि एस.एस. के पद पर भर्ती के लिए 'पर्यवेक्षी क्षमता' में अनुभव आवश्यक है। नरेश कुमार (सुप्रा) में दायर शपथ पत्र उक्त पत्र पर आधारित था।

(11) स्पष्टीकरण जारी करने और उसे वापस लेने पर विस्तार करने से पहले, नियमों के अनुसार पात्रता मानदंड पर विचार करना आवश्यक होगा।

(12) नियमों के परिशिष्ट-बी के अनुसार और 10 जुलाई 2015 के विज्ञापन के अनुसार, मैट्रिक स्तर पर हिंदी/संस्कृत के साथ स्नातक और मोटर सड़क परिवहन सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव। सीधे एस.एस. के रूप में भर्ती किया जा सकता है। पर्यवेक्षी अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है।

(13) नियमों के अनुसार ग्रुप-सी सेवाओं को मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ऑपरेशन स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ के रूप में विभाजित किया गया है। 'ऑपरेशन कैडर' में कंडक्टर सहित ग्यारह पद शामिल हैं। डॉ. वरिंदर के. दहिया, निदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा के 12 मार्च, 2020 के हलफनामे में कहा गया है कि परिचालन पद पर प्राप्त अनुभव मोटर रोड ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। प्रासंगिक भाग नीचे दिया गया है:-

> "3. जो अनुभव मांगा गया है वह सरकारी या अर्ध-सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रमों के तहत पदों पर काम करने का है जो मोटर सड़क परिवहन से संबंधित हैं। इसलिए, मोटर चालित वाहनों द्वारा सड़कों के माध्यम से परिवहन के क्षेत्र से जुड़े पद पर काम करते समय प्राप्त अनुभव पद की आवश्यकता के अनुसार

पर्यवेक्षी कर्तव्यों को शामिल करने के लिए पर्याप्त होगा। हरियाणा रोडवेज एक राज्य परिवहन उपक्रम है और वर्तमान में इसका बेड़ा लगभग 3600 है। बसें (परिवहन वाहन) नियमित/अस्थायी आधार पर भर्ती किए गए ड्राइवरों और कंडक्टरों के माध्यम से अंतर-राज्य और अंतर-राज्य मार्गों पर चलाई जाती हैं। बसें हरियाणा के बस अड्डों/स्टॉपों से संचालित की जाती हैं। हालाँकि पदों को विस्तृत रूप से संक्षेपित नहीं किया जा सका, हालाँकि, बसों का संचालन करते समय हरियाणा रोडवेज में एक अलग परिचालन स्टाफ होता है। सड़क पर बसों के संचालन में, परिचालन स्टाफ यानी ड्राइवर, कंडक्टर, बुकिंग क्लर्क, उप-निरीक्षक, निरीक्षक, यार्ड मास्टर, मुख्य निरीक्षक और स्टेशन पर्यवेक्षक को हरियाणा रोडवेज में प्रतिनियुक्त किया गया है और इन पदों पर प्राप्त अनुभव से संबंधित है मोटर सड़क परिवहन।"

(14) एस.एस. में पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड के आधार पर पर्यवेक्षी अनुभव की आवश्यकता का समर्थन करने के लिए उत्तरदाताओं का तर्क अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। सीधी भर्ती के लिए स्पष्ट पात्रता योग्यताएँ नियमों में निर्धारित की गई हैं। सीधी भर्ती के लिए पदोन्नति पात्रता मानदंड को नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि नियमों में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए होते, तो चीजें अलग होतीं, लेकिन ऐसा नहीं है।

(15) **के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य**[1] में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल के नियमों को बाद में नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उन मानदंडों में बदलाव उचित है जिसके तहत प्रक्रिया पूरी होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंक लागू किए गए थे। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:-

"लेकिन जो नहीं किया जा सका वह दूसरा बदलाव था, साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की कसौटी लागू करना। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड ।।) के चयन के लिए साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पहले कभी नहीं अपनाया गया था। वर्तमान चयन के संबंध में, प्रशासनिक समिति ने केवल पिछली प्रचलित प्रक्रिया को अपनाया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पिछली प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक लागू करने की थी, मौखिक परीक्षा के लिए नहीं। हमने 24.7.2001 और 21.2.2002 के पहले के प्रस्तावों की उचित व्याख्या का उल्लेख किया है और माना है कि 30.11.2004 को जो अपनाया गया वह केवल लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक थे, साक्षात्कार के लिए नहीं। इसलिए, पूरी चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित) पूरी होने के बाद साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता को लागू करना, खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने जैसा होगा जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। इस न्यायालय

[1] 2008 (3) अस सी सी 512

के कई निर्णयों से हम इस दृष्टिकोण से मजबूत हुए हैं। उनमें से तीन पी.के.रामचंद्र अय्यर बनाम भारत संघ 1984 (2) एससीसी 141, उमेश चंद्र शुक्ला बनाम भारत संघ 1985 (3) एससीसी 721, और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य 1987, एससीसी 646 (4) का उल्लेख करना पर्याप्त है।) ।"

(16) मौजूदा मामले में 18 अगस्त 2017 के पत्र को वापस लेने के बहाने पात्रता मानदंड यानी आवश्यक अनुभव को बदल दिया गया और वह भी चयन प्रक्रिया पूरी होने पर।

(17) नरेश कुमार (सुप्रा) में निर्णय पर उत्तरदाताओं की निर्भरता गलत है। उत्तरदाताओं ने 22 अगस्त, 2007 को 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करते हुए एस.एस. के पदों का विज्ञापन दिया। पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। रद्दीकरण को एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता कट-ऑफ तिथि पर अधिक उम्र का था और पात्र नहीं था। 19 दिसंबर, 2007 के स्पष्टीकरण पर भी भरोसा दिया गया था कि याचिकाकर्ता के पास कंडक्टर होने के नाते पर्यवेक्षी क्षमता में 5 साल का अनुभव कभी नहीं था, इसलिए वह पात्र नहीं था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की उम्र अधिक थी, रिट याचिका खारिज कर दी गई। अंतर-न्यायालय अपील का भी यही हश्र हुआ। न्यायालय के पास न तो स्पष्टीकरण की वैधता और न ही विज्ञापन और नियमों के संबंध में इसके प्रभाव पर विचार करने का अवसर था।

(18) 18 अगस्त, 2017 का स्पष्टीकरण या 28 मई, 2018 का पत्र प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि नियमों में स्पष्ट रूप से पात्रता मानदंड निर्धारित हैं।

(19) मामले का एक और पहलू है, शुरुआत में एस.एस. की सीधी भर्ती के लिए 2007 में एक विज्ञापन दिया गया था और उसके बाद पर्यवेक्षी क्षमता में अनुभव के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। विज्ञापन रद्द कर दिया गया. उत्तरदाताओं को एक मुकदमे का सामना करना पड़ा जो एक अलग आधार पर विफल रहा। 2015 में पदों को फिर से विज्ञापित किया गया था। लगभग 8 वर्षों तक, सीधी भर्ती और पदोन्नति चैनल के मानदंडों के बीच कथित विसंगति को दूर करने के लिए नियमों में संशोधन करना उचित नहीं समझा गया। स्पष्टीकरण के माध्यम से संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(20) यह घिसा-पिटा कानून है कि प्रशासनिक निर्देश वैधानिक नियमों में अंतराल को भर सकते हैं, लेकिन विरोधाभासी नहीं हो सकते, जैसा कि **संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य**[2] में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था और **भारत संघ बनाम के.पी.**

[2] ए आई आर 1967 अस सी 1910

जोसेफ[3] में दोहराया था। **धनंजय मलिक और अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य**[4] में सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षकों के चयन से निपटने के दौरान इन दो निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ उद्धृत किए और इन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> "14. **संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य** मामले में इस न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने एआईआर पी में बताया है। 1914 कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या उनका स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार नियमों को पूरा कर सकती है और नियमों को पूरक कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है जो पहले से बनाए गए नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
>
> 15. भारत संघ बनाम के.पी. जोसेफ मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए फैसले के पैरा 9 में उपरोक्त फैसले को इस प्रकार दोहराया गया है:
>
> > "9. सामान्यतया, एक प्रशासनिक आदेश कोई न्यायसंगत अधिकार प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह नियम, अन्य सभी सामान्य नियमों की तरह, अपवादों के अधीन है। इस न्यायालय ने संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में माना है कि यद्यपि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों को अधिक्रमण नहीं कर सकती है, फिर भी, यदि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं, तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियमों को पूरक करें और ऐसे निर्देश जारी करें जो पहले से बनाए गए नियमों से असंगत न हों और ये निर्देश सेवा की शर्तों को नियंत्रित करेंगे।''

(21) वर्तमान मामला प्रशासनिक निर्देशों द्वारा कमियों को भरने का नहीं है, बल्कि नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को बदलने का है। दूसरे शब्दों में नियमों में संशोधन और वह भी तब जब चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी।

(22) अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय निरस्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन और नियमों में प्रदान की गई पात्रता योग्यता के आधार पर स्टेशन पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अपीलकर्ताओं के मामलों पर विचार करें, जैसा कि इस निर्णय में बताया गया है और यदि उन्हें इस रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र पाया जाता है। यह अभ्यास बारह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

---

[3] (1973) 1 अस सी सी 194

[4] (2004) 4 अस सी सी 171

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा